

न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/163/2025

दायर दिनांक:-13.11.2025

रजि0 न0 2025/388

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-

श्री हरलाल सैनी पुत्र श्री नत्थूराम सैनी, केयर
ऑफ लक्ष्मी मार्बल, खसरा नं0 142, 200 फुट
रोड नमन होटल के पास अलवर (राज0)
301001

लोक सूचना अधिकारी एवं रायिव नगर
विकारा न्यारा, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

---:: निर्णय ::---

दिनांक:- 02.12.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 23.09.2025 के परिपेक्ष्य में मिली सूचना से असांतुष्ट होने बाबत अभिकथन किया गया है ।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 25.11.2025 को उपस्थित आवें ।
5. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया एवं प्रत्यर्थी ने जवाब अपील क्रमांक यू0आई0टी0/आर0टी0आई0/2025/10251 दिनांक 24.11.2025 से अवगत कराया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 23.09.2025 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्रश्नात्मक एवं विशिष्टियां रहित हैं। अपीलार्थी को समस्त आवेदित सूचना का अधिकार के अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर अनेकों बार न्यास पत्रों के द्वारा सूचित किया जा चुका है कि चाही गई सूचना प्रश्नात्मक, विशिष्टियां रहित होने के साथ एक शिकायती पत्र है, जिसका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ)(आई) में नये प्रारूप में सूचना उपलब्ध करवाना एवं नई सूचना का सृजन करना संभव नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है ।
6. अतः प्रत्यर्थी द्वारा उनके पत्रांक यू0आई0टी0/आर0टी0आई0/2025/10251 दिनांक 24.11.2025 के माध्यम से अपीलार्थी को विनिश्चय किया जाकर संसूचित किया जा चुका है जो उचित एवं पर्याप्त है। उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे ।
7. आज दिनांक 02.12.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।



(डा. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर